न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

III/निगरानी/सीहोर/भूरा/2018/319 निगरानी कमांक /18

रेवाप्रकाश आयु लगभग-65 वर्ष
आत्मज श्री हरिशंकर जाति ब्राम्हण
निवासी व कृषक ग्राम बीजली तहसील
नसरूल्लागंज जिला सीहोर (म0प्र0) ------ निगरानीकर्ता

विरूद्ध

सुगनचंद आयु 81 वर्ष
आत्मज श्री स्व. डुंगरिया
निवासी व कृषक ग्राम बीजला
तहसील नसरूल्लांगज जिला सीहोर ------ अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू राजस्व संहिंता 1959

यह निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर के प्रकरण कमांक- 04/बी -121/17-18 पक्षकार सुगनचंद विरूद्ध रेवाप्रकाश आदेश दिनांक 19/2/18 से दुखी होकर निम्न ठोस तथ्य एवं आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है :-

तथ्य

1- यह कि निगरानीकर्ता के स्वत्व स्वामित्व आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा कमांक-2/1/1/2, 5/1/2, 2/8, 2/1/2, 2/3/3/1 कुल रकबा 5.969 हेक्टेयर स्थित ग्राम बीजला तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर में है जिसे रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा दिनांक-05.05.1983 को कय किया गया था। राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि निगरानीकर्ता के नाम नामांतरित होकर राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में नाम चला आ रहा है एवं मौके पर काबिज होकर खेती कर रहा है।

2- यह कि अनावेदक की ग्राम बीजला तहसील नसरूल्लाहगंज जिला सीहोर भूमि खसरा कमांक-1/2, 2/1/2/2/1क,2/1/2/2/1ग रकबा 3.327 हेक्टैयर है जो निगरानीकर्ता की भूमि से काफी दूरी पर है जिस पर आने जाने का रास्ता नहर पर बने रास्ते से अनावेदक एवं अन्य कृषक के द्वारा उपयोग किया जाता है।

...2.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी / सीहोर / भू0रा0 / 2018 / 1319

न दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधि आदि के हस्ताक्ष
3/4/19	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार नसरूल्लागंज जिला सीहोर व्दारा प्रकरण कमांक 4 बी–121 / 17–18 में पारित आदेश दिनांक 19–2–2018 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) की धारा 50 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप निगरानी राजस्व मण्डल में सीधे सुनवाई–योग्य नही है, क्योंकि तहसीलदार व्दारा पारित आदेश के विरूद्व कलेक्टर / अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी होगी। तद्नुसार भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) के अनुसार निगरानी सुनवाई योग्य न रहने कलेक्टर सीहोर के न्यायालय में सुनवाई हेतु अंतरित की जाती है। आवेदक कलेक्टर सीहोर के न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 21–5–2019 को उपस्थित रहें। सदस्य कलेक्टर सीहोर	